संख्या-21/2017/820/क0नि0प्र0/26-3-2017-15(03)/2015

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, **लखनऊः दिनांकः 09 नवम्बर,2017**
समाज कल्याण विभाग

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-1261/स0क0/विकास/सबप्लान–योजना-51/2017-18 दिनांक 04 सितम्बर,2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-672/क0नि0प्र0/26-3-2014-15(03)/2014 दिनांक 04 जून, 2015 के द्वारा जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड- पनियरा के ग्राम रजोड़ा खुर्द एवं सूचितपुर (बघौना) को स्वीकृत/अनुमोदित कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 909.18 लाख के सापेक्ष अवशेष रू0 659.18 लाख में से रू0 4,65,68,000/- (रू0 चार करोड़ पैंसठ लाख अड़सठ हजार मात्र) को द्वितीय किश्त के रूप में अधूरे अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद- महाराजगंज

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	**विकास खण्ड का नाम**	**ग्राम का नाम**	**कार्य का नाम**	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व में स्वीकृत धनराशि**	**आवंटित की जा रही धनराशि**
1	**पनियरा**	रजोड़ा खुर्द	**सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण।**	**458.62**	**125.00**	**232.84**
2	**पनियरा**	सूचितपुर (बघौना)	**सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण।**	**450.56**	**125.00**	**232.84**
			योग-	**909.18**	**250.00**	**465.68**

(रू0 चार करोड़ पैंसठ लाख अड़सठ हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड से कार्य कराया जायेगा, जिसे लोक निर्माण विभाग के समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार व्यय देय होगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि यथाशीघ्र जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) महाराजगंज को योजना के अवशेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु आवंटित की जायेगी और इनके द्वारा औपचारिकता पूर्ण कराकर धनराशि संबंधित निर्माण इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी./ टी.एस.पी. हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों तथा योजना संचालन संबंधी निर्गत शासनादेश संख्या-664/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(62)/2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/ सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

6- प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

7- संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

8- स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के सत्यापन हेतु गठित समिति के माध्यम से सदुपयोग प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित किया जायेगा।

10- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

पृ.संख्या-21/2017/820(1)/क0नि0प्र0/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, महाराजगंज।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, महाराजगंज।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), महाराजगंज।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, गोरखपुर जोन।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in